प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

सतत पैरवी के फलस्वरूप जनपद सीतापुर में माह मई में कुल 94 अभियुक्तों को हुई सजा

दिनांकः-01.06.2022

पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

इस क्रम में विगत मई माह में माननीय न्यायालय में प्रचलित वादों में जनपदीय पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जनपद के समस्त थानों द्वारा **सतत पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायलय द्वारा विचारण पूर्ण कर विभिन्न अपराधों में कुल 63 वादों में कुल 94 अभियुक्तों को सजा करायी गयी है। जिनमें से 01 दोषसिद्ध अभियुक्त को आजीवन कारावास, 05 दोषसिद्ध अभियुक्तो को 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक का कारावास, 57 दोषसिद्ध अभियुक्तो को 10 वर्ष से कम के कारावास व सन्दर्भित प्रकरणों की गम्भीरता के अनुक्रम में अर्थदण्ड** की सजा हुई।

मिशन शक्ति अभियान के अतंर्गत महिला संबंधी अपराधों में कुल 21 अभियुक्तों को करायी गयी सजा भी सम्मिलित है।

क्रं.सं.	नाम सर्किल	कुल हुई सजा	अभियुक्तों की संख्या
1	नगर	12	14
2	सदर	03	7
3	लहरपुर	02	11
4	बिसवां	10	13
5	महोली	04	9
6	सिधौली	17	20
7	मिश्रिख	10	13
8	महमूदाबाद	05	7
	योग	***63***	***94***